रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 1967/फाल्गुन 12, 1888

No. 35] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 1967/PHALGUNA 12, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd March 1967

No. 37/1/XVII/67/T.—The following order by the President dated the 2nd March, 1967, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by article 85 of the Constitution and of all other powers enabling me in this behalf, I hereby rescind my order dated the 9th January, 1967, published in the Gazette of India by the Lok Sabha Secretariat Notification No. 37/1/XVII/67/T, dated the 11th January, 1967, summoning the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 13th March, 1967.

S. RADHAKRISHNAN,
President."

March 2, 1967.

No. 37/2/67/T.—The following order by the President dated the 3rd March, 1967, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (b) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby dissolve the Lok Sabha."

S. RADHAKRISHNAN.
President

March 3, 1967

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1967

संख्या 37/1/सत्तरह/67/टी—राष्ट्रपति का दिनांक 2 मार्च, 1967 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"संविधान के अनुच्छेद 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस सम्बन्ध में सामर्थ्य देने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं दिनांक 9 जनवरी, 1967 के अपने आदेश को, जो दिनांक 11 जनवरी, 1967 की लोक सभा सचिवालय अधिसूचना संख्या 37/1/सत्तरह/67/टी द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें सोमवार, 13 मार्च, 1967 को नई दिल्ली में सत्र के लिए लोक-सभा को बुलाया गया था, एतद्द्वारा विखंडित करता हूं।

2 मार्च, 1967 एस० राधाकृष्णन, राष्ट्रपति।"

संख्या 37/2/67/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 3 मार्च, 1967 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :

संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ, मैं एतद्द्वारा लोक सभा को विघटित करता हूं।

एस० राधाकृष्णन, राष्ट्रपति।"

3 मार्च, 1967

श्यामलाल शकधर, सचिव।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967